न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्याः— 46/2020
प्रार्थीगण :—

01. घासीराम पुत्र श्री मांगीलाल जी, उम्र—60 वर्ष,
02. धूलाराम पुत्र श्री भैराराम जी, के कायम मुकाम,
2/1 श्रीमति सोमली पत्नि श्री धूलाराम जी, उम्र—52 वर्ष,
2/2 आईदान राम पुत्र श्री धूलाराम जी, उम्र—36 वर्ष,
2/3 गणेशराम पुत्र श्री धूलाराम जी, उम्र—30 वर्ष,
2/4 जोगेन्द्र पुत्र श्री धूलाराम जी उम्र—28 वर्ष,
2/5 नेनाराम पुत्र श्री धूलाराम जी, उम्र—25 वर्ष,
2/6 श्रीमति पार्वती देवी पुत्री श्री धूलाराम जी, उम्र—33 वर्ष,
03. रामचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जी, उम्र—33 वर्ष, सभी जातियान् कुम्हार, सभी निवासीगण :— कुम्हारो की ढ़ाणी, ग्प्रम नांदड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

01. श्रीमति तरूणा पत्नि श्री भुपेन्द्र राणेजा, जाति ब्राहम्ण निवासी :— बालसमन्द रोड़, मण्डोर, जोधपुर हाल निवासी :— इमरतियों बेरा, पावटा सी रोड़, जोधपुर।
02. श्रिमति अनिता चौधरी पत्नि श्री मनमोहना, जाति जाट, निवासी :— किसान केसरी नगर, ग्राम नान्दड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते मौजूदा आम रास्ते से अतिकमण हटाने बाबत्।</u>

आदेश

दिनांकः— 18/1/2021

उपस्थितिः— श्री सुमेरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए आर.टी.एक्ट. का प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कुम्हारों की ढ़ाणी, ग्राम नांदड़ी तहसील व जिला जोधपुर के स्थाई निवासी है प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम नांदड़ी, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 148/3 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम, में आई हुई है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 से स्पष्ट है, उक्त प्रार्थनापत्र के साथ में वर्तमान जमाबन्दी पेश कि जा रही है। अप्रार्थी संख्या—01 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नांदड़ी, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 156 रकबा 03 बीघा आई है, जिसमें अप्रार्थी संख्या—01 के द्वारा उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 156 में रास्ता छोड़ते हुए छोटे—छोटे भूखण्डों/चकों में विभक्त कर दिया गया था,

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

जो भूखण्डों/चक संख्या–01 से 31 तक रोड़ को छोडते हुए विभक्त किया गया था, जिस स्कीम को बजरंग वाटिका के नाम से जाना जाता है। अप्रार्थी संख्या–01 के द्वारा अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में भूखण्डो/चकों को विभक्त करते हुए आम रास्ते को प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 148/3 की माठ तक मिलया गया था, जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर कृषण कार्य कर सके एवं अपने खेत का उपयोग व उपभोग कर सके। प्रार्थीगण अीभी वर्तमान में बारिश होने से अपने खेत में फसल बुवाई कर रखी है, जिससे अपने खातेदारी के खेत में ट्रेक्टर, मवेशी, को लाता व ले जा सके। उक्त आम रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 148/3 में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या–01 के द्वारा अपने भूखण्डों/चकों में से चक संख्या–01 से 14 तक रकबा 0.05.11 बीघा व चक संख्या–20 से 33 तक रकबा 0.18.14 बीघा भूखण्डों को अप्रार्थी संख्या–02 को जरिये बेचाननामे से बेचान कर दिया गया है, एवम् चक संख्या–04 व 05 को प्रार्थी संख्या –02/01 श्रीमति सोमली व प्रार्थी संख्या–03 की धर्म पत्नि श्रीमति संतु के नाम किये गये है, शेष भूखण्डों/चकों को अप्रार्थी संख्या–01 के स्वयं के पास में रखे गये है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खातेदारी के खेत में आने–जाने व अपने खेत में कृषण कार्य करने के लिए एक मात्र रास्ता पश्चिम दिशा में स्थिति खसरा नम्बर 156 में से आता है, जो आगे जाकर दुसरी योजनाओं से होता हुआ डामर सड़क पर मिलता है, जिसका प्रार्थीगण वर्षो से अपने खेत में आने–जाने के लिए उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिसका प्रार्थीगण को सुखाचारों के जिससे अप्रार्थी संख्या–01 व 02 को प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतू आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा व रूकावट नही कर सकते है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता डामर सडक से होता हुआ चक संख्या–01 व 33 के माध्य में छोड़ी गयी 30 फिट की रोड़ से होते हुए चक संख्या–07 व 06 के मध्य से, प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत में प्रवेश करता है, जिसको अप्रार्थी B संख्या–01 भाग के द्वारा चक संख्या–07 के पास में कांटे डाल कर अवरूध कर दिया गया है, जिसको अवरूद्व करने का अप्रार्थी संख्या–01 को कोई हक व अधिकार नही है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या–01 के द्वारा बजरंग वाटिका योजना में चकों में विभक्त करते समय आम रास्ते के रूप में दर्शाया गया था। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–02 व उसके के पति द्वारा प्रार्थीगण को ऐलानियों धमकी दी जा रही है कि उपरोक्त आम रास्ते चक संख्या–07 के पास में कांटे डाल कर किये गये अवरोध को नहीं हटायगे, जो अप्रार्थी सख्या–02 को कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि अप्रार्थी संख्या–02 के स्वामित्व के चक संख्या–10 से 14 व 20 से 33 है एवं आम रास्ते को रोके जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन है, प्रार्थीगण वादग्रस्त रास्ते से होकर ही अपने खेत खसरा नम्बर 148/3 में आता जाता है, अगर अप्रार्थी संख्या–01 व 02 ने वादग्रस्त रास्ता पर कांटे, रेत डाल कर अवरूद्व कर दिया गया है, जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में नहीं जा पा रहा है, जिससे प्रार्थीगण के खेत में बोई हुई फसल नष्ट होने की पूर्ण सम्भावना है। जिससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन रूपायों में आंका नहीं जा सकेगा। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 148/3 व खसरा नम्बर 156 में विध्यमान भूखण्ड/चकों की जमीन श्रीमान् न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है,

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

इस कारण श्रीमान् न्यायालय को इस प्रकरण को श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थनापत्र नियत अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि ग्राम नांदड़ी की सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुदा व काश्तसुदा जमीन खसरा नम्बर 148/3 में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता जो डामर सड़क से होता खसरा नम्बर 156 की स्कीम से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत में मिलता है, जिसको अप्रार्थी संख्या–01 व 02 B भाग के द्वारा भूखण्ड/चक संख्या–07 के पास कांटे व रेत डाल कर अवरूद्व कर दिया गया है, जिसको तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने एवं अप्रार्थी संख्या–01 व 02 के द्वारा आम रास्ते पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने, न ही अजनबी व्यक्ति सें अतिक्रमण करावे, ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थी संख्या–01 से 02 स्वयं करें, न किसी रिश्तेदार अपने ऐजेन्ट इत्यादि से करावें, इस आशय के आदेश से पाबन्द किया जाने का आदेश पारित फरमावें। अन्य उचित आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो परित फरमाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वाक्यात सही होने से स्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन सही है कि प्रार्थीगण कुम्हारो की ढणी, ग्राम नांदडी, तहसील व जिला जोधपुर के स्थाई निवासी है प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम नांदडी, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नंबर 148/3 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम, में आई हुई है। प्रार्थीगण ने इस पैरा में अपुर्ण तथ्यों का विवरण किया है सही यह है कि खेत खसरा नंबर 148 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम, प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है प्रार्थीगण ने इस खसरान की भूमि मे से 12 बीघा भूमि श्रीमति विमलादेवी पत्नि मूलसिंह माली व श्रीमती यशोदा देवी पत्नि खेताराम को बेचान कर दी और नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 16.02.2004 के जरिये खरीददारों के नाम राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि की गई है। प्रार्थीगण व खरीददारों के बीच इस भूमि का बंटवाडा हुआ व बंटवाडा का नामान्तरकरण संख्या 872 स्वीकार हुआ जिसमें खसरा नंबर 148 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा को 2 भागों में विभक्त किया गया खसरा नंबर 148 रकबा 12 बीघा भूमि बंटवाड़ा के अनुसार खातेदारी श्रीमती विमलादेवी व श्रीमती यशोदादेवी के नाम दर्ज की गई है और खसरा नंबर 148/3 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थीगण घासीराम वगैरा के नाम दर्ज की हुई है। खसरा नंबर 148 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से बेचान की गई 12 बीघा भूमि पर आवासीय उपयोग का रूप देते हुए इस भूमि में से रास्ते व सड़कें निकाल दी गई है और यह रास्ता व सड़क खसरा नंबर 149 से गुजरता हुआ सरकारी कटाणी रास्ता से जुड़ जाता है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह गलत कथन है अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि नांदडी, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नंबर 156 रकबा 3 बिघा आई हुई है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 156 में रोड़ को छोड़ते हुए छोटे छोटे भूखण्डों/चकों मे विभक्त कर दिया गया था, जो भुखण्ड/चक संख्या 1 से 31 तक रोड़ को छोडते हुए विभक्त किया गया था, जो भुखण्ड/चक संख्या 1 से 31 तक रोड़ को छोडते हुए विभक्त किया गया था जिस स्कीम को बजरंग वाटिका के नाम से जाना जाता है।

जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

वास्तविक्ता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती तरूणा पत्नि भूपेन्द्र द्वारा खसरा नंबर 156 रकबा 3 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है जिस स्थान पर प्रार्थीगण रास्ता की भूमि होने का कथन करता है वह भू भाग अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना हक व कब्जे का भू भाग है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खसरा की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तांतरण करने से अब अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नंबर 156 में किसी प्रकार का हित निहीत नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 जिस प्रकार से वार्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में भूखण्डों/चकों को विभक्त करते हुए आम रास्ते को प्रार्थिगण के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 148/3 की माठ तक मिलाया गया था, जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि तक कृषण कार्य कर सके एवं अपने खेत का उपयोग व उपभोग कर सके। प्राथीगण अभी वर्तमान में बारिश होने से अपने खेत में फसल बुवाई कर रखी है, जिससे अपने खातेदारी के खेत में ट्रेकटर, मवेशी को लाता व ले जा सके उक्त आम रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 148/3 में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है शैष भूखण्डों/और चकों को अप्रार्थी संख्या 1 के पास ही रखे गये है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में आने जाने व अपने खेत में कृषण कार्य करने के लिए एक मात्र रास्ता पश्चिम दिशा में स्थित खसरा नंबर 156 में से आता है, जो आगे जाकर दुसरी योजनाओं में से होता हुआ डामर सड़क पर मिलता है, जिसका प्रार्थिगण वर्षो से अपने खेत में आने जाने के लिए उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थीगण का गलत कथन है कि इसके अतिरिक्त प्रार्थिगण के खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता रहीं है। जिसका प्रार्थिगण को सुखाचारों के अधिकार के अंतर्गत पूर्ण रूप से हक व अधिकार है, जिससे अप्रार्थि संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के खातेंदारी के खेत में आने जाने हेतु आम रास्ता पर किसी भी प्रकार की बाधा व रूकावट नहीं कर सकते है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता डामर सड़क से होता हुआ चक संख्या 1 व 33 के मध्य में छोडी गयी 30 फीट की रोड़ से होते हुए चक संख्या 7 व 6 के मध्य से, प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत में प्रवेश करता है, जिसकों अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा चक संख्या 7 के पास में कांटे डाल कर बी भाग अवरूध कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन है, प्रार्थिगण वादग्रस्त रास्ते से होकर ही अपने खेत खसरा नंबर 148/3 में आता जाता है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 8 में वर्णित बावियात गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह गलत कथन है कि यह प्रार्थना पत्र सुनवाई का श्रवणधिकार हाजा न्यायालय को प्राप्त है प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो अनुतोष दिये जाने की व्यवस्था है वह अनुतोष इस प्रार्थना पत्र में नही चाहा गया है। प्रार्थीगण ने सुखाचार अधिकारों के तहत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा की आज्ञा का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार का

अनुतोष नियमित वाद के जरिये ह दिये जाने की व्यवस्था है इस कारण इस प्रार्थना पत्र का श्रवणधिकार हाजा न्यायालय में निहीत नहीं है।

—:: अतिरिक्त कथन ::—

प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नंबर 148 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नान्दडी में आया हुआ है जिसमें से प्रार्थीगण ने 12 बीघा भूमि श्रीमती विमलादेवी व श्रीमती यशोदादेवी को बेचान कर दी है विमलादेवी व यशोदादेवी ने अपनी खरीदसुदा 12 बीघा भूमि में रोड़ रास्ते छोडकर प्रार्थीगण के शेष भू–भाग से जोड़ दिया है ऐसा इसलिए किया हुआ है कि भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 13 में दिये गये अधिकार को ध्यान में रखा गया है और इस धारा के दृष्टांत (ख) मे स्पष्ट किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अपने खेत खसरा नंबर 148/3 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में आवागमन हेतु प्रार्थीगण के मार्गधिकार के तहत खसरा नंबर 148 रकबा 12 बीघा में रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थीगण के पास जब अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को नया रास्ता हेतु धारा 251 'ए' (ख) (i) व (ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कसौटी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सफल नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। खसरा नंबर 156 का रकबा बड़ा था अप्रार्थीगण द्वारा जो भू–भाग खरीद किया गया है वह भू भाग खसरा नंबर 155 के चिपता हुआ है और अप्रार्थीगण का खरीदसुदा रकबा खसरा नंबर 148 या उप खसरा नंबर 148/3 के चीपता हुआ नहीं है बीच में खसरा नंबर 156 के अन्य खातेदारों की भूमि है। प्रार्थीगण ने वैक्लपिक रास्ता उपलब्ध होने व अप्रार्थीगण का खरीदसुदा भू भाग प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 148/3 से जुड़ा हुआ यानि चिपता हुआ नहीं है इन तथ्यों को छुपाया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हैं।

अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व अन्य उचित आदेश जो अप्रार्थीगण के हक में हो सादिर फरमावे।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट, राजस्व रेकर्ड, दोनो पक्षो की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया।

धारा 251–ए की परिभाषा अनुसार अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होने के कारण सुखाचार की सुविधा के लिया दिया जाना नितान्त आवश्यक होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

लेकिन उक्त प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 के बिन्दु संख्या 04 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 148 रकबा 12 बीघा के खातेदार पश्चिमी तरफ से कृषि भूखण्डो के रास्तो से होकर अपने खसरे में आते–आते है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक तौर पर अपने कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ता विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 251–ए आर.टी.एक्ट. नहीं बनना पाया गया है। फलस्वरूप प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 18/11/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर